फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री गोविन्दराम | **विपक्षी : श्री कमलचन्द**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 78/22**

जीसीएमएस : 2022/312

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 28.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की सहखातेदारी भूमि होने का कथन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा खेमली पटवार हल्का खेमली तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 की खाता संख्या 81 पर दर्ज आराजी नम्बर 2188, 2189 किता 2 कुल रकबा 0.2509 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी, विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहता हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा मूल वाद बंटवाडे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण खातेदार हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद कराना चाह रहा हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। अतः खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:58:48 IST
Reason: SelfAttested